रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 504] नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 27, 1972/अग्रहायण 6, 1894
No. 504] NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 27, 1972/AGRAHAYANA 6, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT

ORDER

New Delhi, the 27th November 1972

No. 726(E)/18FB/IDRA/72.—Whereas in exercise of the powers conferred by section 18AA of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government, by its order No. S.O. 695(E)/18AA/IDRA/72, dated the 3rd November, 1972 authorised the Industrial Reconstruction Corporation of India Limited, Calcutta (hereinafter referred to as the Authorised Controller) to take over the management of Messrs Ganesh Flour Mills Company Limited (hereinafter referred to as the said undertaking);

And whereas, the Authorised Controller has taken over the management of the said undertaking on the 4th November, 1972;

And whereas the Central Government is satisfied that it is necessary, so to do in the interests of the general public with a view to preventing fall in the volume of production of the following scheduled industries, namely vanaspati, solvent-extracted oils, processed foods and electrical fans;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 18FB of the said Act, the Central Government hereby declares that—

(a) the enactments, or portions thereof, as the case may be, specified in the Schedule to this order shall not apply to the said industrial undertaking, and

(b) the operation of all contracts, assurances of property, agreements, settlements, awards, standing orders or other instruments in force (other than those relating to secured liabilities to banks and financial institutions), to which the said undertaking is a party or which may be applicable to it immediately before the date of publication of this order in the Official Gazette, and all the rights, privileges, obligations and liabilities accruing or arising thereunder before the said date, shall remain suspended.

2. This order shall remain in force for a period of one year commencing from the date of its publication in the Official Gazette.

THE SCHEDULE

(1) The Industrial Employment (Standing Orders) Act, 1946.

(2) The following chapter and sections of the Industrial Disputes Act, 1947. namely:—

(i) Chapter V-A

(ii) Section 33(c)

(iii) Section 9(A)

[No. 4/12/72-C.U.C.]

K. S. BHATNAGAR, Jt. Secy.

औद्योगिक विकास मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 27 नवम्बर, 1972

का० आ० 726 (अ)/18 एफ बी०/आई० डी० आर० ए०/72.—यतः केन्द्रीय सरकार ने उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18 क के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपने आदेश सं० का० आ० 695(ई०)/18ए ए/आई० डी० आर० ए०/72, तारीख 3 नवम्बर, 1972 द्वारा भारत के औद्योगिक पुनर्गठन निगम लिमिटेड, कलकत्ता (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्राधिकृत नियंत्रक कहा गया है) को मैसर्स गणेश फ्लोर मिल्स कम्पनी लिमिटेड (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त उपक्रम कहा गया है) का प्रबन्ध ले लेने को प्राधिकृत किया था;

और यतः प्राधिकृत नियंत्रक ने उक्त उपक्रम का प्रबन्ध 4 नवम्बर, 1972 को संभाल लिया है;

और यतः केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि निम्नलिखित अनुसूचित उद्योग में, अर्थात् बनस्पति, विलायक निस्सारण तेल, तैयार खाद्य और बिजली के पंखे, उत्पादन की मात्रा को कम होने से रोकने की दृष्टि से सर्वसाधारण के हित में ऐसा करना आवश्यक है;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 18चख की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि—

(क) इस आदेश की अनुसूची में विनिर्दिष्ट, यथास्थिति, अधिनियमितियां या उनका कोई भाग उक्त औद्योगिक उपक्रम को लागू नहीं होगा, और

(ख) सभी प्रवृत संविदाओं, संपत्ति का हस्तान्तरणपत्रों, करारों, समझौतों, पंचाटों, स्थायी आदेशों या अन्य लिखतों (बैंकों को और वित्तीय संस्थानों को प्रतिभूत दायित्व से संबंधित को छोड़कर), जिनमें उक्त औद्योगिक उपक्रम पक्षकार है या

जो इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से ठीक पूर्व लागू होती हों, का प्रवर्तन और सभी अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यताएं और दायित्व को उक्त तारीख से पहले तद्धीन प्रोद्भूत या उद्भूत हुए हों निलम्बित रहेंगे ।

2. यह आदेश राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रारम्भ होकर एक वर्ष की अवधि के लिए प्रवृत रहेगा ।

अनुसूची

1. औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946 ।

2. औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के निम्नलिखित अध्याय और धाराएं, अर्थात् :—

(1) अध्याय 5—क ।

(2) धारा 33(ग) ।

(3) धारा 9(क) ।

[सं० फा० 4/12/72—सी०यू० सी०]

के० एस० भटनागर, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972